न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 144 / 2024

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. कंवराराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी नाकोड़ा	1. मुकनसिंह पुत्र मेहरसिंह
2. मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह	2. मांगीकवंर पत्नि मेहरसिंह
3. मलसिंह पुत्र दीपसिंह	3. माधुसिंह पुत्र मेहरसिंह
4. समदूकंवर पत्नि दीपसिंह जाति राजपूत निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी	4. सांगसिंह पुत्र मेहरसिंह
	5. हड़मतसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति वजीर निवासी नाकोड़ा
	6. शाखा प्रबन्धक, SBBJ हाल SBI शाखा सिणधरी
	7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित--

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अर्जुनराम प्रजापत ,वकील विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 की ओर ,से।
3. विप्रार्थी सं. 7 के पैरोकार उप.। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:34 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 04.1[illegible].2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की [illegible]दारी भूमि खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 हैक्टयर ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 5 की खसरा संख्या 24 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

0.4207 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 05 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 24 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01, 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। श्ेाष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 424/25 रकबा 11.5768 ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 05 की खसरा संख्या 24 भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 05 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या हो जाती है। और बरसात [illegible] जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 05 कदीमी [illegible] की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना [illegible] है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त [illegible]कटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

.स्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 05 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.इसके विपरीत वकील विप्राथीगण की बहस थी। कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। विप्रार्थी को केवलमात्र परेशान करने की नियत एवं रंजिशवंश विप्रार्थी के खेत में रास्ता निकालने के लिए आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्यो में निहित नहीं है, आगे ओर कथन किया था,कि 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता निकालनें के लिए जो तथ्य एवं तर्क निहित होने चाहिए। जो प्रार्थी के आवेदन पत्र में निहित नहीं है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

5.हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 424/25 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 24 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिर्पोट न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2024 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 2550/01.10.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा नाकोड़ा की खसरा संख्या 424/25 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 24 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण को अपनी ओर से जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया परन्तु प्राप्त मौका रिपोर्ट पर मौखिक बहस सुनी गई। और मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट अंकन किया है,कि प्रस्तावित [illegible]लावा अन्य कोई निकटतम दूरी में विकल्प नहीं है,और प्रस्[illegible] का निर्माण आदि नहीं है। (परन्तु यदि वर्तमान [illegible] स्थल को बाधित करने हेतु ऐसा कोई निर्माण अथवा कृत्य कारित [illegible] गया हो, तो बेदखली की जा सकती है) इस प्रकार प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। क्योकि 251 ए आर.टी.एक्ट की मंशा है,कि किसी काश्तकारों को अपने खेत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

होकर सरकारी कटाण मार्ग तक पहुचनें के लिए यदि रास्ता उपलब्ध नहीं है,तो रास्ता दिया जाना चाहिए। जो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। और प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए अंतिम विकल्प है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 24 रकबा 0.4207 हैक्टयर में लम्बाई 10 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0060 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–2023162/–प्रति बीधा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 24 रकबा 0.4207 हैक्टयर में लम्बाई 10 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0060 हैक्टयर का राशि–24300/–अक्षरे चौबिस हजार तीन सौ रूपयें मात्र का भुगतान किया जाना है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की अपरिहार्य आवश्यकता है। और उक्त रासते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 24 रकबा 0.4207 हैक्टयर में लम्बाई 10 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0060 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल ———दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राथीगर्ण द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 05 को क्षतिपूर्ति राशि–24300/–चौबिस हजार तीन सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार का रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2024/2550 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:34 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को लिखवाकर न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी